



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

[Affiliation No. 1000015] School Code – 05487 Website. <https://no1itarasi.kvs.ac.in/>

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-१

Kendriya Vidyalaya, No.1

आयुध निर्माणी इस्टेट इटारसी (म.प्र.) 461122

Ordinance Factory Estate, Itarsi, M.P 461122

Tele: 07572-262561/262661

Email. kvitarsi@gmail.com

दिनांक: 25.01.2023

F. 14084\के.वि. क्र.1\इटारसी \कंप्यूटर विभाग\

कम्प्यूटर विभाग के अनुपयोगी सामानों की नीलामी सूचना ई-वेस्ट (E-Waste) एवं कम्प्यूटर नीलामी सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1 आ. नि. इटारसी में कम्प्यूटर विभाग के अनुपयोगी सामानों की निरस्तारण करने के लिए खुली बोली (auction) सामग्री "जहां है, जैसी है" के आधार पर आमंत्रित की जाती है। दिनांक 31.01.2023 को प्रातः 11:00 बजे विद्यालय प्रांगण में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर खुली बोली में सम्मिलित होंगे।

सामान "जिस स्थिति में है उसी स्थिति में नीलाम किया जायेगा। ई-वेस्ट (E-Waste) सामानों की नीलामी हेतु सम्बंधित फर्म ही बोली लगा सकती है। सामान नीलाम होने पर ई-वेस्ट प्रमाण-पत्र विद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। सामान नीलाम होने पर ई-वेस्ट फर्म के सर्वाधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित है। सामान नीलाम होने पर ई-वेस्ट (E-Waste) को नीलामी की राशि तुरंत जमा करवानी होगी। विद्यालय कर्मचारी अथवा उनके परिवार के कोई भी सदस्य या संबंधी इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

अधोहस्ताक्षरी के पास इस नीलामी को कभी भी निरस्त या स्वीकार करने के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

**नियम एवं शर्तें** 1. बोलीदाता को नीलामी के समस्त नियम एवं शर्तें मान्य होगी।

2. सफल बोलीदाता विद्यालय द्वारा सूचित करने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर शेष राशि डी. डी. बैंक द्वारा विद्यालय में जमा कर अनुपयोगी कम्प्यूटर/ सामग्री ले जानी होगी।

3. सफल बोलीदाता उस सामग्री की नीलामी राशि देने में असफल रहता है तथा सामग्री को उचित समय में ले जाने में असफल रहता है तो उनकी धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी तथा वस्तु को अगले सर्वाधिक बोलीदाता को देने की प्रक्रिया की जाएगी।

4. असफल बोलीदाता को धरोहर राशि 5 कार्य दिवस के भीतर आरटीजीएस/चैक द्वारा लौटा दी जाएगी। इस हेतु स्वयं का पता लिखा हुआ एवं 41 रु का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा भी संलग्न करें ताकि धरोहर राशि लौटायी जा सके।

5. बोलीदाता को पैन कार्ड, जीएसटी पंजीयन, व्यवसाय पंजीयन की प्रतिलिपी आवेदन के साथ जमा कराना होगा।

6. नीलामी हो जाने के बाद विद्यालय की किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी।

7. सफल बोलीदाता नीलामी सामग्री को उचित तरीके से निपटाने / निस्तारण के लिए जवाबदेह होगा इस हेतु ई-वेस्ट (E-Waste) का प्रमाण-पत्र भी देना होगा।

**सूचनार्थ-** 1. विद्यालय सूचना पटल

2. विद्यालय वेबसाइट

**प्रतिलिपि-** 1. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, विद्यालय प्रबंध समिति, केवि क्र. 1 आ. नि. इटारसी

2. श्रीमान उपायुक्त महोदय, केविस क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

*(Handwritten signature)*

7/1/23/प्राचार्य

केंद्रीय विद्यालय क्र. 1 आ. नि. इटारसी

केन्द्रीय विद्यालय सं. 1

Kendriya Vidyalaya No.1

इटारसी/Itarsi—461122